न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 124/25 GCMS NO 2025/198

1. अरविन्द चतुर्वेदी पुत्र स्व0धर्मेन्द्रनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन हाल निवासी शिषा मह् बाजार कानपुर जिला कानपुर
2. पीयूष चतुर्वेदी
3. प्रशान्त चतुर्वेदी पुत्रान स्व0राधेश्याम चतुर्वेदी जाति ब्राहम्ण निवासी चौबे पाडा हिण्डौन जिला करौली
4. मु0शकुन्तला बेवा राधेश्याम चतुर्वेदी जाति ब्राहम्ण निवासी चौबेपाडा हिण्डौन जिला करौली
5. मनीष पुत्र नरेन्द्रनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी चौबेपाडा हिण्डौन हाल अरेरा कालोनी भोपाल, मध्यप्रदेश
6. श्रीमती सुमन चतुर्वेदी बेवा नरेन्द्रनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी चौबेपाडा हिण्डौन हाल अरेरा कालोनी भोपाल मध्यप्रदेश
7. विवेक कुमार पुत्र यतेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. इन्दरलाल पुत्र परसादी
2. राधेश्याम पुत्र परसादी
3. घनश्याम पुत्र परसादी
4. ओमप्रकाश पुत्र परसादी
5. यशवन्त पुत्र परसादी
6. मु0बल्ला बेवा रामकिशोर
7. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रामकिशोर
8. रितेश पुत्र रामकिशोर समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासीयान चौबेपाडा हिण्डौन जिला करौली
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 18/2012 निर्णय व डिकी दिनांक 26.9.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोन)

अभिभाषक अपीला0 श्री गोविन्द सिह डागुर

अभिभाषक रैस्पो0 श्री राधेश्याम शर्मा

दिनांक 02.01.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 26.9.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटगण के पूर्वजो द्वारा दावा बाबत उदघोषणा स्वत्वाधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पैतृक भूमि आराजी खसरा नं0 1326 लगायत 1333 एवं 1336 लगायत 1339 स्थित है। जिसके साबिक खसरा नं0 605 ता 612 रहे है। उक्त भूमि वादीगण के बुजुर्गो को मिश्राई पंण्डिताई में माफी में मिली थी। इसलिए उक्त भूमि पर वादीगण की ही पैत्रक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:57:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कब्जा चला आ रहा है। अन्य किसी व्यक्ति का उक्त भूमि से कभी कोई सवंध नही रहा है। वादीगण न0 1 लगायत 3 के पिता जगदीश प्रसाद एवं ताऊ सावंलिया अधिकतर कलकत्ता मे रहकर अपना पैतृक व्यवसाय करते थे तथा उन्होने अपनी सम्पति मकान एवं कृषि भूमि की देखरेख एवं काश्त के लिए बाला पुत्र ठाकुरिया जाति ब्राहम्ण को बतौर नोकर रख रखा था। किन्तु बाला ने वदनियती से राजस्व अधिकारियो से मिलकर अपना नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वहैसियत कृषक दर्ज करा लिया। बाला भी लाऔलाद फौत हो गया , बाला की मृत्यु के बाद विना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पिता ने उक्त भूमि की खातेदारी मे अपना 1/2 हिस्सा राजस्व अधिकारियो से मिलकर षडयंत्र एवं फर्जी तरीके से दर्ज करा लिया। राजस्व अधिकारियो को इस प्रकार भू अभिलेखो मे परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नही था। राजस्व अधिकारियो की उक्त कार्यवाही उनके क्षैत्राधिकार के विपरीत है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त अवैध इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 वादीगण की भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है तथा प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात मे भूमाफियाओ से मिलकर आवासीय भूखण्ड काटकर भूमि को कृषि से अकृषि मे परिवर्तित करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को ऐलानिया धमकी दी गई कि भूमि को विकय करेगें। इसलिए वाद करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादी इस अमर का डिकी फरमाया जावे कि भूमि खसरा न0 1326 लगायत 1333 तथा खसरा न0 1336 लगायत 1339 स्थित हिण्डौन सिटी वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे की घोपित की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वे उपरोक्त भूमि के उपयोग उपभोग मे वादीगण को किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे ना ही अन्य किसी से करावे एवं भूमि को किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांटगण के बुजुर्गो द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। वहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने लिखित वहस प्रस्तुत कर उसमे अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1,3,4 का ही निर्णय पारित किया है तनकी संख्या 2 व 5 का कोई निर्णय पारित नही किया है और ना ही कोई विवेचना की है। मुताविक विधि अनुसार प्रत्येक तनकी का निर्णय पारित किया जाना मेन्डेटरी प्रावधान है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिकी काबिले खारिज है। तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित करने मे अहम कानूनी गलती की है। क्योकि विवादित आराजी जगदीश प्रसाद व सांवलिया को मिश्राइ एवं बक्शीश मे [illegible] प्रताप सिह से प्राप्त हुई है। जो व्यक्तिगत माफी है और व्यक्तिगत माफी होने से [illegible] काश्त मे मानी जावेगी क्योकि माफी रिज्यूम होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] अधिकार प्राप्त हो गये क्योकि जमाबंदी सवंत 2008 लगायत 2013 तक कॉलम/खाना न0 4 मे माफीदार बसीगे मिश्राई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:47:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सांवलिया पुत्र किशनराम जाति ब्राहम्ण माफीदार दर्ज है और सावलियां लावल्द बिला औरत फौत हुआ जिसके वारिश जगदीश प्रसाद है व जगदीश प्रसाद के वारिश वादीगण है लेकिन जमावंदी सवंत 2017 लगायत 2020 के कॉलम/खाना न0 5 मे जगदीश प्रसाद पुत्र जानकी व सांवलियां पुत्र काशीराम वहिस्सा बराबर निस्फ वाला पुत्र ठाकुरिया हिस्सा 1/2 दर्ज है। बाला पुत्र ठाकरिया के नाम किस सक्षम अधिकारी के आदेश से आई यह कही भी किसी भी राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित नही है जबकि उससे पूर्व रिकार्ड मे कोई इन्द्राज बाला के नाम नही है जबकि बाला को सिकमी काश्त पर काश्त करने के लिए कभी नही दिया। जबकि उसको देखभाल करने के लिए नौकर रखा हुआ था विकल्प मे अगर माना जावे कि बाला को काश्त पर दिया था तो बाला को मुताबिक काश्तकारी अधिनियम दावा करना चाहिए था। प्रतिवादीगण की और से कोई काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत नही किया तो बाला को किस आधार पर खातेदारी दी गई। किसी भी दस्तावेज से स्पष्ट नही है। उक्त तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय का तनकी संख्या 1 का निर्णय करते समय कोई विवेचना नही की है। तनकी संख्या 1 का निर्णय करते समय अधिनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण द्वारा 58 वर्ष बाद पेश किया है जो मियाद बाहर है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे खातेदारी की घोषणा के लिए कोई मियाद निर्धारित नही की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी अंकित किया है कि बाला पुत्र ठाकुरिया का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का था जबकि ऐसा कोई दस्तावेज राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत नही हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के विरूद्व निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। तनकी संख्या 3 को निर्णित करते समय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना है कि विवादित आराजी पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से कब्जा काश्त बाला पुत्र ठाकुरिया को खातेदारी अधिकार दिये गये है जबकि ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत नही हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बाला पुत्र ठाकुरिया को खातेदारी कैसे मिली राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किस आधार पर हुए मात्र सिकमी दर्ज कर देने से वह भी सवंत 2017 के आधार पर खातेदारी प्राप्त नही हो सकती, जब तक की प्रतिवादीगण सक्षम न्यायालय मे दावा करके अपने अधिकारो की घोषणा नही करा लेते इसलिए तनकी संख्या 3 का निर्णय विरूद्व वादीगण करने मे अहम कानूनी गलती की है। तनकी संख्या 4 का निर्णय भी तनकी संख्या 1 व 3 मे वर्णित कथनो के आधार पर किया गया है और उक्त आधारो को मानते हुए तनकी संख्या 4 का निर्णय पारित किया है महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि बाला पुत्र ठाकुरिया को खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किस धारा मे प्राप्त हुई। उक्त बिन्दु को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 ,3 , 4 मे कही भी विवेचना नही की है। दादरसी मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1,3,4 मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदार प्रतिवादीगण के आधार पर खातेदार प्रतिवादीगण को मानते हुए दावा खारिज किया है। लम्बे कब्जे के आधार पर एवं [illegible] साक्ष्य के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी [illegible] कोई प्रावधान नही है। मात्र सिकमी दर्ज करने के आधार पर तहसीलदार को भी धारा 19 के तहत खातेदारी प्रदान करने का अधिकार हासिल नही है एवं घोषणा के दावे के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे कोई मियाद भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निर्धारित नही है। माफी व्यक्तिगत होने से खुद की खुदकाश्त मानी जावेगी इन सभी तथ्यो पर राजस्व रिकार्ड एवं कानून का कोई विश्लेषण न कर अधिनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज करने मे अहम कानूनी गलती की है। शिकमी के लिए कृषक उपकृषक के बीच लगान अदा करने का संविदा होना आवश्यक है जो आर आर डी 1988 पेज 420 से स्पष्ट है इसी प्रकार मौखिक साक्ष्य पर खातेदारी अधिकार घोषित नही किये जा सकते है जो आर आर टी 2020 (1) से स्पष्ट है। घोषणा हेतु वाद के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे कोई मियाद नही है जो आर आर टी 2011 (2) पेज 1298 से साबित है। तहसीलदार धारा 19 आर टी एक्ट के तहत खातेदारी प्रदान करने हेतु सक्षम नही है जो आर आर टी 2004(2) पेज न0 895 पर स्पष्ट है। इसी प्रकार माफी व्यक्तिगत होने से खुद काश्त की भूमि मानी जावेगी जो आर बी जे 1997 पेज 318 डी बी से साबित है। लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है जो आर बी जे 2017 पेज 309 से स्पष्ट है। आदेश 41 नियम 31 सीपीसी अनुसार प्रत्येक तनकी पर अलग अलग साक्ष्य का विवेचन करना आवश्यक है। इसी प्रकार बिना काउन्टर क्लेम किसी प्रकार की कोई रिलीफ नही दी जा सकती है जो आर बी जे 1996 पेज 232 से स्पष्ट है इसी प्रकार एडवर्स पेजेशन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी नही मिलती है जो आर बी जे 2011 पेज 343 मे स्पष्ट उल्लेखित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व रूप से पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जाकर वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता. ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 ,3,4 का निर्णय नही कर सम्पूर्ण तनकीयात 1लगायत 5 का निर्णय पारित किया है। उक्त सभी तनकीयात अपीलांट के खिलाफ व रेस्पो0 के पक्ष मे साबित मानी है जो बिलकुल सही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण/अपीलांट के विरूद्व व प्रतिवादी/रेस्पो0 के पक्ष मे सही माना है। वादीगण/अपीलांट का यह कहना कि उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज जगदीश प्रसाद व सावंलिया को मिश्राई व पंडिताई मे महाराज सवाई प्रताप सिह से प्राप्त हुई है तथा न ही वादीगण जगदीश प्रसाद व सांवलिया के वारिसान है। पत्रावली पर वादीगण/अपीलांट का ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि वादीगण जगदीश प्रसाद व सांवलिया के वारिसान है तथा रेस्पो0 /प्रतिवादीगण को टीनेन्सी एक्ट के तहत विधि अनुसार खातेदारी प्राप्त हुई थी। बाला पुत्र ठाकुरिया के नाम विवादित आराजीयात टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के तहत प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का शुरू से ही उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है तो प्रतिवादीगण को काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का प्रश्न ही पैदा नही होता। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1का निर्णय करते समय दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की पूर्णरूपेण विवेचना कर निर्णय पारित किया है जिसके निरस्त होने का प्रश्न ही पैदा नही होता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाला पुत्र ठाकुरिया का कब्जा टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व का मानना इसमे राजस्व रिकार्ड के आधार पर सही माना है। इसलिए उक्त तनकी का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही पारित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 का निर्णय विधि अनुसार किया है तथा अपीलांट/वादीगण के बहस के मद न0 3 के तथ्यो की ही पुनरावृति की है जिसका जबाब दिया जा चुका है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 का निर्णय विरूद्व वादीगण/अपीलांट व प्रतिवादी/रेस्पो0 के पक्ष मे सही पारित किया है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 का निर्णय तनकी संख्या 1 व 3 मे वर्णित तथ्यो के आधार पर सही पारित किया है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 , 3, 4 मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निर्णय सही पारित किया है तथा वादीगण का वाद पत्र सही रूप से खारिज किया है। अपीलांट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत अपील पर चस्पा नही होते है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री बिलकुल विधि अनुसार पारित की है। आराजीयात भूमि खसरा न0 1325,1331,1332,1333,1336 ता 1344 कुल किता 13 कुल रकबा 3.58 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन रेस्पो0 की एक्सक्लूसिव खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जो साबिक जमाबंदी 2017 ता 2020 से साबित है। इस प्रकार खसरा न0 1331 ता 1333 से वादीगण/अपीलांट का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है। वादीगण/अपीलांट द्वारा वाद पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है। वादीगण/अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण मेटेरियल फेक्टस को छुपाकर हाईड एवं सीक के आधार पर वाद पेश किया गया था। वादीगण/अपीलांट को उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा विधि अनुसार खारिज किया है। वादीगण/अपीलांट नें वाद पत्र के सर्मथन मे प्रदर्श 1 लगायत 23 दस्तावेज पेश किये है तथा रेस्पो/प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावे के सर्मथन मे प्रदर्श डी 1 ता डी 11 पेश किये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 5 तनकीयात कायम की जाकर तथा मौखिक साक्ष्य वादीगण/अपीलांट की और से पीडब्लू 1 विवेक कुमार, पी डब्लू 2 यतेन्द्रनाथ पीडब्लू 3 लक्ष्मण सिह के बयान कराये तथा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 की और से मौखिक साक्ष्य मे इन्दरलाल पुत्र परसादी के बयान कराये तथा बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श डी 1 ता डी 11 पेश किये है जिन पर प्रदर्श डाले गये है। वादीगण/अपीलांट ने जो सजरा वाद पत्र मे पेश किया है उक्त सजरे को ना तो किसी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है ना ही मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। उक्त भूमि कभी भी जानकीदास,जगदीश प्रसाद की कब्जा काश्त व खातेदारी की नही रही है। वादीगण/अपीलांट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पूर्वज बाला पुत्र ठाकुरिया को खातेदारी क्यो दिये गये अगर अपीलांट /वादीगण को बाला पुत्र ठाकुरिया के खातेदारी अधिकारो पर कोई आपत्ति थी तो वादीगण/अपीलांट को सवंत 2011 मे ही आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी तथा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पूर्वज बाला पुत्र ठाकुरिया के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के लगभग 58 वर्ष बाद उक्त दावा वादीगण/अपीलांट ने प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के खिलाफ प्रस्तुत किया है जो मियाद बाहर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही माना है तथा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 व उनके पूर्वज उक्त [illegible] आराजीयात पर सम्वत 2011 से लगातार काबिज होकर काश्त करते [illegible] खातेदार काश्तकार है। रेस्पो/प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार [illegible] वादीगण/अपीलांट को खातेदारी अधिकार दिया जाना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी दृष्टिकोण से विधि अनुसार न्यायसंगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नही माना है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 अधिनस्थ न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण/अपीलांट के विरूद्व व प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पक्ष मे सही मानकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा सही खारिज किया है। वादीगण/अपीलांट ने अपने वादपत्र के मद न0 2 मे भूमि खसरा न0 1326 ता 1333 व 1336 ता 1339 का ना तो कोई रकबा बताया है तथा उक्त खसरा न0 साबिक खसरा न0 609,618,619 से बनना बताया है जिनका भी कोई रकबा नही बताया है। वादीगण/अपीलांट के किस बुजुर्ग को उक्त भूमि मिश्राई पंडिताई माफी मे मिली है तथा कौनसे साल या सवंत मे मिली है तथा हाल खसरा न0 1326 ता 1333 तथा 1336 ता 1339 का साबिक रकबा क्या था कही भी अपने वाद पत्र मे अंकित नही किया है ना ही कोई दस्तावेजी रिकार्ड पेश किया है तथा वादीगण/अपीलांट अपने वाद पत्र के मद न0 3 मे वादीगण/अपीलांट संख्या 1 ता 3 के पिता जगदीश प्रसाद व ताऊ सांवलिया अधिकतर कलकत्ता मे रहकर अपना पैतृक व्यवसाय करना बताया है तथा वाद पत्र के मद न0 2 मे उक्त भूमि को वादीगण/अपीलांट के बुजुर्गो को मिश्राई पंडिताई माफी मे मिलना बताया है। जो दोनो तथ्य आपस मे विरोधाभासी है। एक तरफ तो वादीगण/अपीलांट अपने बुजुर्गो को मिश्राई पंडिताई करना बताते है तथा दूसरी तरफ कलकत्ता मे रहकर व्यवसाय करना बताते है। इससे साफ जाहिर है कि वादीगण/अपीलांट का उक्त दावा विराधाभासी तथ्यो का होने के कारण अपने आप ही दुर्भावना से ग्रसित होना अधिनस्थ न्यायालय ने सही माना है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलांट का दावा सही खारिज किया है तथा तनकी संख्या 2 को निर्णय भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही पारित किया है। वादीगण/अपीलांट द्वारा बाला पुत्र ठाकुरिया को नौकरी पर रखना बताया है तथा राजस्व अधिकारियो से साज कर बाला पुत्र ठाकुरिया को खातेदारी मे अपना नाम दर्ज करना बताया है तथा वादीगण ने अपने वाद पत्र मे यह कही भी अंकित नही किया है कि बाला पुत्र ठाकुरिया को कब और कौनसी साल मे नौकरी पर रखा था तथा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने कब और कौनसी साल मे अपनी खातेदारी के दर्ज करवाया तथा बाला की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण/रेस्पो0 1 ता 8 के पिता ने उक्त भूमि मे अपना 1/2 हिस्सा दर्ज करा लेना बताया है जबकि वाद पत्र मे यह कही भी अंकित नही किया है कि कौनसी सन मे नाम अंकित कराया है इससे स्पष्ट साबित होता है कि वादीगण/अपीलांट ने उक्त दावा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को हैरान परेशान करने की गरज से पेश किया था जो अधिनस्थ न्यायालय ने सही मानकर खारिज किया है। सन 1959 मे राजस्थान टीनेन्सी एक्ट मे संशोधन हुआ कि जो व्यक्ति जिस भूमि पर काश्त कर रहा है उसके कब्जे के आधार पर उस व्यक्ति को भूमि खातेदारी मे दर्ज कर दी जावे तथा धारा 19 आर टी एक्ट के तहत मृतक बाला पुत्र ठाकुरिया खातेदार था तथा उसके पश्चात प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 ता 8 के पिता परसादी को विरासत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। सन 1959 से पहले से ही प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के बुजुर्ग बाला पुत्र ठाकुरिया का कब्जा काश्त चला आ रहा है उसके पश्चात प्रतिवादीगण रेस्पो0 1 ता 5 के पिता परसादी की खातेदारी की भूमि रही है तथा परसादी के पश्चात प्रतिवादी/रेस्पो0 1 ता 8 उक्त भूमि का कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का अपने बुजुर्गान के समय से ही 70 साल से कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairwa
Date: 2026.04.16 15:27:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 की और से जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 साबिक ख0न0 609 रकबा 6 बीघा 14 विस्वा पेश की गई है जो जागीरी रिज्यूम्शन होने के पश्चात साबिक खसरा न0 609 मे 1/2 हिस्सा वादीगण/अपीलांट के बुजुर्ग जगदीश प्रसाद का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के बुजुर्ग बाला पुत्र ठाकुरिया का तथा साबिक खसरा न0 609 रकबा 6 बीघा 14 विस्वा का हाल खसरा न0 1326 ता 1330 रकबा 1.74 है0 कायम किया है। जिसमे हाल खसरा न0 1326 रकवा 0.44 है0, खसरा न0 1338 रकबा 0.44 है0 पर वादीगण/अपीलांट का कब्जा है तथा खसरा न0 1329 रकबा 0.44 है0 , 1330 रकबा 0.41 है0 कुल रकबा 0.85 है0 पर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का कब्जा है। खसरा न0 1327 मे वादीगण/अपीलांट व प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का 1/2, 1/2 हिस्सा है तथा साबिक खसरा न0 618 रकबा 3 बीघा जिसका हाल खसरा न0 1331 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 1332 रकबा 0.30 है0 , खसरा न0 1333 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.75 है0 कायम किये गये है तथा साबिक खसरा न0 619 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा के हाल खसरा न0 1336 रकबा 0.32 है0 , 1337 रकबा 0..37 है0, खसरा न0 1338 रकबा 0.07 है0, खसरा न0 1339 रकबा 0.04 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 है0 कायम किये गये है तथा साबिक खसरा न0 618,619 पूरा ही प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के बुजुर्गो की खातेदारी व कब्जे काश्त मे चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के दोनो साबिक नम्बरो से बने हाल खसरा नम्बरो से बने हाल खसरा न0 से वादीगण/अपीलांट का कोई संबंध वास्ता किसी प्रकार का नही है ना ही वादीगण/अपीलांट का कोई कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादीगण /रेस्पो0 की और से जमाबंदी प्रदर्श डी 2 सवंत 2021 से 2024 साबिक खसरा न0 618 प 619 की प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के बुजुर्ग बाला पुत्र ठाकुरिया के नाम से पेश की गई है इससे स्पष्ट साबित है कि साबिक खसरा न0 618 व 619 से वादीगण/अपीलांट का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही रहा है। सम्वत 2010 यानि सन 1952 मे रिज्यम्शन एवं जागीरदार एक्ट फोर्स मे आया था तथा सभी जागीरदारी रिज्यूम हो गई थी तथा सन 1959 मे धारा 19 के तहत भूमि साबिक खसरा न0 618 व 619 प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के बुजुर्ग बाला पुत्र ठाकुरिया के नाम खातेदारी मे दर्ज हुई थी तथा साबिक ख0न0 609 मे 1/2 हिस्सा वादीगण/अपीलांट के बुजुर्ग व प्रतिवादीगण /रेस्पो0 के बुजुर्ग का शामलाती दर्ज हुआ था। इस प्रकार प्रतिवादीगण/रेस्पो0 करीब 70 वर्षो से साबिक ख0न0 618 व 619 से बने हाल सम्पूर्ण खसरा न0 व साबिक खसरा न0 609 से बने हाल खसरा न0 के 1/2 हिस्सा के 70 वर्षो से खातेदार काश्तकार व कब्जा काश्त करते चले आ रहे है जिसे प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। जिसमे वादीगण/अपीलांट का कोई संबंध वास्ता नही है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 व 4 वादीगण/अपीलांट के खिलाफ व प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पक्ष मे सही मानकर दावा सही खारिज किया है। वादीगण/अपीलांट ने अपनी मौखिक [illegible] मे डी डब्लू 1 विवेक कुमार, डी डब्लू 2 यतेन्द्र, डी डब्लू 3 लक्ष्मण के बयान [illegible] मे भी विरोधाभास है तथा गवाह डी डब्लू 1 विवेक कुमार भी अपनी मौखिक [illegible] से ना तो अपने सजरे को साबित कर पाया है ना ही उक्त भूमि के साबिक व हाल ख0न0 का रकबा बता पाया है। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादीगण/अपीलांट अपने वाद पत्र को साबित करने मे पूर्णतया विफल रहे है तथा वादीगण/अपीलांट पर जिन तनकीयात को साबित करने का भार था वह ना तो दस्तावेजी साक्ष्य से साबित हुई ना ही किसी मौखिक साक्ष्य से साबित हुई। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 लगायत 5 वादीगण/अपीलांट के खिलाफ व रेस्पो0 के पक्ष मे साबित मानकर दावा विधि अनुसार खारिज किया है। वादीगण/अपीलांट ने उक्त दावा करीबन 55 साल पश्चात पेश किया है। जबकि उक्त भूमि मे अगर वादीगण/अपीलांट का कोई संबंध वास्ता होता तो जगदीश प्रसाद ही अपने जीवनकाल मे उक्त दावा पेश कर सकते थे। लेकिन जगदीश प्रसाद की मृत्यु के करीबन 45–50 साल पश्चात वादीगण/अपीलांट की नीयत मे प्रतिवादीगण की भूमि को हड़पने की नीयत से दावा मियाद बाहर पेश किया गया है। जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही खारिज किया है। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 उक्त विवादित भूमि के करीबन 70 वर्षो से खातेदार काश्तकार है। तथा अपने बुजुर्गो के समय से काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। जो जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 तथा सम्वत 2017 से 2020 व खसरा गिरदावरियो से भली भॉति साबित है। जिससे वादीगण/अपीलांटगण का कोई संबंध वास्ता नही है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री विधि अनुसार पारित कर दावा सही खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा तनकीयात को भली भॉति दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलांट का दावा सही खारिज किया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। रेस्पो0 अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2024 (1) पेज 42, आर आर टी 2024 (1) पेज 261, आर आर टी 2025 (1) पेज 203, आर आर टी 2022 (1) पेज 366, आर आर टी 2022 (1) पेज 373, आर आर टी 2021 (2) पेज 376, आर आर टी 2021 (1) पेज 476, आर आर टी 2020 (2) पेज 729, आर आर टी 2019 (1) पेज 131, आर आर टी 2018,19 स्पी0 पेज 666 पेश की है।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी संख्या 1 आया आराजीयात वर्णित मद न0 2 वाद पत्र वादीगण को बुजुर्गान के समय से पंडिताई ,मिश्राई के प्राप्त. हुई कि जिस पर वह वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है।

उक्त तनकी संख्या 1 को सिद्व करने का भार वादी/अपीलांट का है। उक्त तनकी का विवेचन इस प्रकार है कि वादीगण का वाद आराजी खसरा न0 1326 लगायत 1333 तथा खसरा न0 1336 लगायत 1339 स्थित हिण्डौन सिटी के बाबत इस आशय का पेश किया था कि उक्त भूमि वादीगण के बुजुर्ग को मिश्राई पंडिताई मे [illegible] मिली थी इसलिए वह हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। उक्त [illegible] खसरा [illegible] साबिक खसरा न0 608,618 व 619 से बनाये गये है जो मिलान क्षेत्रफल साबित है। नकल [illegible] सम्वत 2000 से 2019 प्रदर्श 1 मे साबिक खसरा न0 के अंलावा अन्य खसरा नम्बर उक्त जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:47:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

माफी सालिगराम बल्द किसनराम ब्राहम्ण चौबे सा0देह के इन्द्राज है। सम्वत 2008 लगायत 2011 मे भी यही इन्द्राज है। जबकि कृषक के कॉलम मे उक्त नम्बरान बाला पुत्र ठाकुरिया के इन्द्राज है । जमाबंदी सम्वत 2017 लगायत 2020 प्रदर्श 7 मे खसरा न0 609 पर जगदीश प्रसाद पुत्र जानकी व सांमलिया पुत्र काशीराम हिस्सा 1/2 , बाला पुत्र ठाकुरिया 1/2 एवं खसरा न0 618 व 619 पर बाला पुत्र ठाकुरिया के खुद काश्त के इन्द्राज है। सम्वत 2013 लगायत 2016 मे माफी मिश्राई सामलियां पुत्र किसनराम जाति ब्राहम्ण माफीदार अंकित है। कॉलम संख्या 5 मे खुद काश्त मोहनलाल माली के इन्द्राज है। उक्त समस्त दस्तावेज से सामलियां के इन्द्राज माफीदार के है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साबिक खसरा न0 609 मे हिस्सा 1/2 एवं खसरा न0 618 व 619 सम्पूर्ण को सम्वत 2011 से पूर्व से ही बाला पुत्र ठाकुरिया जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन के द्वारा काश्त की जाती रही है तथा कब्जा काश्त एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर उक्त भूमि धारा 19 के तहत बाला पुत्र ठाकुरिया को खातेदारी किया जाना प्रतीत होता है और बाला पुत्र ठाकुरिया के फौत होने पर परसादी पुत्र ठाकुरिया एवं परसादी के बाद उसके वारिसान के नाम इन्द्राज विरासत से आने का तथ्य गलत अंकित किया है तथा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का जबाब दावा के मुताबिक धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी मिलना अंकित किया है। जबकि धारा 19 के तहत तहसीलदार को खातेदारी देने का कोई अधिकार हासिल नही है। धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा ही प्रभावित पक्षकार को सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर दादरसी प्राप्त कर सकता है। शिकमी काश्त के लिए खातेदार और शिकमी के मध्य संविदा एवं रेन्ट तय करना पडेगा इसके अलावा शिकमी के राईट ट्रासफर बिल एवं हेरिटेविल भी नही है। विना सक्षम न्यायालय के इन्द्राज खातेदारी के नही हो सकते है। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के द्वारा कोई काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत नही किया है। राजस्व कर्मचारियो के द्वारा जो इन्द्राज खातेदारी बाला पुत्र ठाकुरिया के नाम राजस्व रिकार्ड मे किये है वह पूर्णतः अवैध एवं कानून के विपरीत है। ऐसा कोई दस्तावेज राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के द्वारा प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि बाला के नाम खातेदारी किसी न्यायालय के आदेश से हुई अथवा तहसीलदार के द्वारा धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दी है। यही नही एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे खातेदारी प्रदान करने का कोई प्रावधान नही है। लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान नही की जा सकती। जहॉ तक वाद मियाद बाहर होने का प्रश्न है तो घोषणा के वाद के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही है। माफी मे सांमलियां पुत्र किसनराम को दिया जाना राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है। जो व्यक्तिगत माफी है। माफी रिज्यूम होने पर माफी मे दी गई भूमि का खातेदार ही माना जाता है इसके अलावा जो भूमि माफी मे दर्ज है वह शिकमी काश्त पर भी देने का भी अधिकारी नही है। अपीलांटगण के द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं प्रस्तुत नजीरो से हम सहमत है। इसलिए तनकी संख्या 1 बहक वादीगण/अपीलांट [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] निर्णित की जाकर हाल खसरा न0 1326 लगायत 1333 एवं 1336 लगायत [illegible] अपीलांट संख्या 1 हिस्सा 1/4, अपीलांट संख्या 2 लगायत 4 [illegible] 1/4 एवं अपीलांट संख्या 5 व 6 बहिस्सा बराबर 1/4 अपीलांट संख्या 7 हिस्सा 1/4 पर [illegible]तेदारी पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

तनकी संख्या 3 आया बाला के लाऔलाद मृत्यु होने के बाद विवादित आराजीयात के 1/2 भाग की खातेदारी का इन्द्राज राजस्व अधिकारियो से साज करके प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज करवा लिया है जबकि मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नही है। इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण/अपीलांट को दिया गया था।

तनकी संख्या 1 मे विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। बाला पुत्र ठाकुरिया के नाम जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे आये है वे बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही सरसरी तौर पर बिना किसी निर्णय व डिकी के एवं बिना किसी नामा0 के माध्यम से आये है। राजस्व रिकार्ड मे बाला पुत्र ठाकुरिया का नाम किस आधार पर आया है ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नही हुआ है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को निर्णित करने के लिए यह अंकित किया है कि बाला पुत्र ठाकुरिया को खातेदारी अधिकार दिये गये थे लेकिन यह कही भी अंकित नही किया की खातेदारी अधिकार किस कानून मे एवं किस प्रावधान के तहत इन्द्राज किये गये है । बाला के नाम आने पर एवं बाला की मृत्यु होने पर नामा0 उसके वारिसान के नाम आना तो एक फिस्कल ... किया है लेकिन बाला के नाम इन्द्राज कैसे आये यह स्पष्ट नही है। इसलिए बाला पुत्र ठाकुरिया के नाम जो इन्द्राज हुए है वह अवैध एवं नियमो के विपरीत है इसलिए तनकी संख्या 3 बहक वादीगण/अपीलांट विरूद्व प्रतिवादीगण/रेस्पो0 निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 आया प्रतिवादीगण ने दिनांक 30.11.2011 को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी और विधि विरूद्व कब्जा करने का प्रयास किया है। इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था।

तनकी संख्या 1 व 3 मे विस्तृत विवेचना कर निर्णित की गई है राजस्थान टीनेन्सी एक्ट मे घोषणा का दावा करने कि... कोई समय सीमा निर्धारित नही की गई है। जब अवैध इन्द्राजो के बारे मे जानकारी होगी एवं धमकी दी जावेगी तभी वाद कारण पैदा होता है। लेकिन तनकी संख्या 1 व 3 का निर्णय वादीगण/अपीलांट के पक्ष मे निर्णित हुई है तो तनकी संख्या 4 बहक वादीगण/अपीलांट विरूद्व प्रतिवादीगण/रेस्पो0 निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन से वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात का विधिवत रूप से विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिकी विधि विरूद्व पारित की है। जो निरस्त योग्य है तथा अपीलांट की अपील वाद पत्र अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन ... करौली के प्रकरण संख्या 18/12 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.9.25 को अपास्त किया जाता है। दावा वादीगण/अपीलांटगण बाबत उदघोषणा खातेदारी ,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत ...89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत आराजी खसरा न0 1328 रकबा 0.44, 1329 रकबा 0.44, 1330 रकबा 0.41, 1331 रकबा 0.05, 1332 रकबा 0.30, 1333 रकबा 0.40, 1336 रकबा 0.32, 1337 रकबा 0.37, 1338 रकबा 0.0... 1339 रकबा 0.04 है0 वाके कस्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmikant Bairwa
Date: 2026.04.16 15:27:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हिण्डौन तहसील हिण्डौन इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांट संख्या 1 बहिस्सा 1/4, अपीलांट संख्या 2 लगायत 4 बहिस्सा बराबर 1/4, अपीलांट संख्या 5 व 6 बहिस्सा बराबर 1/4 एवं अपीलांट संख्या 7 हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खसरा नम्बरान पर रेस्पो/प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात को हजफ करने के आदेश दिये जाते है। दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:29 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बसीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix G)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

1. अरविन्द चतुर्वेदी पुत्र स्व0धर्मेन्द्रनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन हाल निवासी शिषा महू बाजार कानपुर जिला कानपुर
2. पीयूष चतुर्वेदी
3. प्रशान्त चतुर्वेदी पुत्रान स्व0राधेश्याम चतुर्वेदी जाति ब्राहम्ण निवासी चौबे पाडा हिण्डौन जिला करौली
4. मु0शकुन्तला बेवा राधेश्याम चतुर्वेदी जाति ब्राहम्ण निवासी चौबेपाडा हिण्डौन जिला करौली
5. मनीष पुत्र नरेन्द्रनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी चौबेपाडा हिण्डौन हाल अरेरा कालोनी भोपाल, मध्यप्रदेश
6. श्रीमती सुमन चतुर्वेदी बेवा नरेन्द्रनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी चौबेपाडा हिण्डौन हाल अरेरा कालोनी भोपाल मध्यप्रदेश
7. विवेक कुमार पुत्र यतेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन जिला करौली

अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

बनाम

1. इन्दरलाल पुत्र परसादी
2. राधेश्याम पुत्र परसादी
3. घनश्याम पुत्र परसादी
4. ओमप्रकाश पुत्र परसादी
5. यशवन्त पुत्र परसादी
6. मु0बल्ला बेवा रामकिशोर
7. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रामकिशोर
8. रितेश पुत्र रामकिशोर समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासीयान चौबेपाडा हिण्डौन जिला करौली
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

रेस्पो0

रेस्पो0

अपील संख्या 124/2025 निर्णय व डिक्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन दिनांक 26.9.25 दावा बाबत उदघोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा । यह अपील संख्या 124/25 व तारीख 02.01.2026 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री गोविन्द सिह डागुर अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा रेस्पो0 श्री राधेश्याम शर्मा उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन के प्रकरण संख्या [redacted]/12 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.9.25 को अपास्त किया जाता है। वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांट संख्या 1 बहिस्सा 1/4, अपीलांट संख्या 2 लगायत 4 बहिस्सा बराबर 1/4, अपीलांट संख्या 5 व 6 बहिस्सा बराबर 1/4 एवं अपीलांट संख्या 7 हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त आराजीयात मे रेस्पो/प्रतिवादीगण के नाम से इन्द्राजात हजफ करने के आदेश दिये जाते है।

बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 2026 को जारी किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर